(नियम 26)

2022/303

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव बनाम श्री शिखरचन्द जैन पुत्र श्री मदनलाल

किस्म मुकदमा FSSAI नं. 41 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जंज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2022	यह प्राथना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/09/2022 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	
21.09.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदकगण स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 ने जबाब पेश कर निवेदन किया उसने खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल (ओसवाल) अनावेदक संख्या 2 से पैक्ड खरीदा था जिसके पक्के बिल की प्रति प्रस्तुत की अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। अनावेदक/अभियुक्त संख्या 2 ने जबाब पेश कर निवेदन किया उसने खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल (ओसवाल) अनावेदक संख्या 3 व 4 से पैक्ड खरीदा था जिसके पक्के बिल की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। अनावेदक/अभियुक्त संख्या 3 व 4 ने जबाब पेश कर निवेदन किया उसने खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल (ओसवाल) अनावेदक संख्या 5 व 6 से पैक्ड खरीदा था जिसके पक्के बिल की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस. /1097/एक्ट/2022/1145 दिनांक 29.03.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ रिफाइन्ड मूंगफली तेल (ओसवाल) मिस ब्रान्डेड (Misbranded Food) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 2, अनावेदक संख्या 2 ने अनावेदक संख्या 3 व 4 से, तथा अनावेदक संख्या 3 व 4 ने अनावेदक संख्या 5 व 6 से खाद्य पदार्थ रिफाइन्ड मूंगफली तेल (ओसवाल) खरीद के पक्के बिल अपने जबाब में प्रस्तुत किये है तथा खाद्य पदार्थ रिफाइन्ड मूंगफली तेल (ओसवाल) पैक्ड ही बेचान कर रहे थे अतः अनावेदक संख्या [illegible] धारा [illegible] (II) का दोषी माना जाना उचित नही है। चूँकि अनावेदक संख्या 5 निर्माता फर्म [illegible] तथा अनावेदक संख्या 6 स्वयं निर्माता फर्म है। अतः अनावेदक [illegible] Light Brothe[illegible]s Pvt. Ltd., G-1-5,6 & E-93, Industrial Aear Bassi, Jaipur को रिफाइन्ड मूं[illegible] तेल (ओसवाल) मिस ब्रान्डेड (Misbranded Food) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 10,000/- दस हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	शिखरचन्द जैन विक्रेता KSharma राजु लाल नोमिनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.06 11:26:13 IST
Reason: SelfAttested